

4/25/04

1

प्रेषक,

डी०के०पन्त,
संयुक्त सचिव,
उत्तरांचल शासन ।

सेवा में,

प्रभारी मुख्य अभियन्ता स्तर-1,
लोक निर्माण विभाग,
देहरादून ।

लोक निर्माण अनुभाग-1

देहरादून दिनांक 24 अगस्त 2004

श्री अक्षरि
26/8/04

विषय:- लोक निर्माण विभाग में परिकल्प शोधा, अनुसंधान, नियोजन, अन्वेषण, सर्वेक्षण से संबंधित पदों पर कार्यरत अभियन्त्रण कर्मियों को अतिरिक्त सुविधा दिये जाने विषयक ।

1431
31/8

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या- 159/130 व्यक-उत्तरांचल/02,

दिनांक- 16.4.2002 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उ०प्र० शासन के शासनादेश संख्या-240 ई०जी०/23-सा०नि०-5-359 ई०जी०, दिनांक-21 अप्रैल 1989 के प्राविधानों के तहत ली०नि०वि० के परिकल्प शोधा अनुसंधान नियोजन, अन्वेषण, सर्वेक्षण एवं प्रशिक्षण से संबंधित कार्यों हेतु तेनात अधिकारियों/कर्मचारियों को निम्नलिखित तीन सुविधाएँ विभिन्न दरों पर दिये जाने का प्राविधान है:-

1. नियोजन/डिजाईन/शोधा/प्रशिक्षण अन्वेषणालय विशेष वेतन
2. सहायक प्रतिपूर्ति भात्ता ।
3. वाहन भात्ता ।

उत्तरांचल राज्य के गठन के उपरान्त मुख्य अभियन्ता स्तर-1, का कार्यालय विभागाध्यक्ष के रूप में सृजित है, जहाँ वर्तमान में नियोजन से संबंधित कार्य अधिनस्त तेनात अधिकारियों से कराये जा रहे हैं । अतः उपरोक्त शासन दिनांक-21.4.89 में इंगित उपरोक्त सुविधाएँ अनुमन्य कराये जाने पर इस प्रतिबंध के साथ स्वीकृति दी जाती है कि मुख्य अभियन्ता स्तर-1, अपने स्तर से यह सुनिश्चित करें कि उपरोक्त शासनादेश की सुविधा उन्हीं

1.T
Upload को
216
27.01.18
EE

हैं तथा उन्हें तद्विषयक कार्य आवंटित हैं ।

(2)

भावदीय;

टी०के०पू०
संयुक्त सचिव ।

कार्यालय मुख्य अभियंता स्त-1
लो० नि० वि० देहरादून

पृ० नं० 1431/130 व्यक्त - सा० उत्तर/2002 दिनांक 3/9/2

उपरोक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित

- 1 - मुख्य अभियंता, लो० नि० वि० कोठी / अलमोड़ा
- 2 - सफल अधीक्षण अभियंता/अधीक्षणी अभियंता स्त-1 कार्यालय देहरादून
- 3 - व्यवस्थापक 'ए' वर्ग स्त-1 कार्यालय देहरादून
- 4 - गार्ड फतावली / प्रगलगाँव (संग: फतावली)

o/c

टी०के०पू०
संयुक्त सचिव-1
लो० नि० वि०, देहरादून